**संख्या-13/2017/52बीपी/35-1-2017**

प्रेषक,

अजय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **06** जून, 2017

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-34बीपी/35-1-2014, दिनांक 28फरवरी, 2014 के माध्यम से लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित निम्नांकित परियोजनाओं को रू. 172.50 करोड़ (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सेवित्त पोषित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 17.20 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई और पूर्ण धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 132 बीपी/ 35-1-2014 दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यो हेतु रू. 39.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या 185बीपी/ 35-1-2014 दिनांक 06 अगस्त,2014 द्वारा रू. 18.85 करोड की धनराशि अर्थात 2014-15 में परियोजनाके अवशेष कार्यों हेतु कुल मिलाकर रू. 57.85 करोड़ अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कुल रू. 48.85 करोड व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2015-16 में शासनादेश सं. 30/2015/114बीपी/35-1-2015 दिनांक 04 जून,2015 द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 15.45 करोड अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कुल रू. 14.75 करोड. व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2016-17 में शासनादेश सं. 18/2015/117बीपी/35-1-2016 दिनांक 14 जून,2016 द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 89.74 करोड अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कुल रू. 78.94 करोड. व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वर्ष 2016-17 तक परियोजनान्तर्गत कुल रू. 142.54 करोड की धनराशि व्यय हुई और अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 29.96 करोड अवशेष देय है। एतदद्वारा परियोजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय मांग रू. 29.96 करोड के सापेक्ष रू. 01.00 करोड (एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(करोड रू. में )

| | परियोजना नाम | अनुमोदित लागत | वर्ष 2016-17 तक व्यय धनराशि | भारत सरकार से प्राप्त सहायता | लागत के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि | अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सामुदायिक नलकूपों का निर्माण | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | चेक डैम का निर्माण | 160.00 | 130.04 | 160.00 | 29.96 | 01.00 |
| | योग | 172.50 | 142.54 | 172.50 | 29.96 | 01.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1 सन्दर्भित शासनादेशों की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2 स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2018 से पूर्व कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2018 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

3 राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2018 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

4 स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय--02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-82-लघु सिंचाई के अन्तर्गत चेक डैम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्ष में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय--02-पिछडे क्षेत्र-102-समाजतथाफार्मवानिकी-03-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-01-वनीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य की मद में उपलब्ध बचतों से आदेश यूओ संख्या 44बीके/35-1-2017 दिनांक 29मई, 2017 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयज्ञाप संख्या 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अजय यादव )
विशेष सचिव।

संख्या- 13/2017/52 बीपी (1)/35-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई/ वन/ कृषि विभाग।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9- कोषाधिकारी, झांसी /ललितपुर/ जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
12-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( पी.एन.त्रिपाठी )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in